झारखण्ड सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय
तृतीय तल JSFC भवन, कडरू, राँची–834002

आदेश

संख्या–खा0उप0नि0–01–स्था०–6 / 2023–383 **राँची, दिनांक**–25 / 2 / 2026

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के विज्ञापन संख्या–10 / 2023 (नियमित) झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 के आधार पर झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निदेशालय आदेश संख्या–341 दिनांक–18.02.2026 द्वारा नियुक्त करने के फलस्वरूप निम्न नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर वेतनमान–Pay Matrix Level-6 (35,400 - 1,12,400) में उनके योगदान करने की तिथि से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :–

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	जन्म तिथि	कोटि	मेधा क्रमांक	स्थायी पता (गृह जिला)	पदस्थापित प्रखण्ड / जिला
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	चन्दन कुमार	05-07-1998	UR	699	गिरिडीह	गिद्धौर, चतरा
2	दीपक कुमार राउत	20-05-1996	UR	703	गिरिडीह	डुमरी, गुमला
3	अनिल कुमार	02-03-1996	BC-II	710	चतरा	डंडा, गढ़वा
4	मनीषा कुमारी	07-01-1994	EBC-1-F	953	गोड्डा	पोटका, पूर्वी सिंहभूम
5	तीर्थो डे	16-10-2000	BC-II	1118	धनबाद	कुचई, सरायकेला–खरसावाँ
6	चाँदनी कुमारी	19-07-1997	BC-II-F	1217	कोडरमा	गाँवा, गिरिडीह
7	विवेक कुमार	12-10-1991	UR/PCCP	2644	देवघर	देवरी, गिरिडीह
8	पप्पु कुमार रजक	21-09-1994	SC	3426	गिरिडीह	हेरहंज, लातेहार
9	प्रीति कुमारी	20-10-1995	SC-F	4760	गुमला	पाकड़टांड़, सिमडेगा

(i) नवनियुक्त पदाधिकारी का परीक्ष्यमान अवधि योगदान की तिथि से दो वर्षों की होगी तथा परीक्ष्यमान अवधि में संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढ़ाया जा सकता है। नवनियुक्त पदाधिकारी की वरीयता झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस कार्यालय आदेश की क्रम संख्या वरीयता सूची / मेधा क्रमांक नहीं है।

(ii) नवनियुक्त पदाधिकारी संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय में आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर अनिवार्य रूप से योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) समर्पित प्रमाण पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर उनकी नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जाएगी एवं अन्य विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(iv) नवनियुक्त पदाधिकारी को विभागीय प्रशिक्षण / क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम हेतु प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा तथा उनकी प्रशिक्षण में सहभागिता अनिवार्य होगी।

(v) नवनियुक्त पदाधिकारी द्वारा योगदान देते समय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–1919 दिनांक–28.01.1976 द्वारा दहेज न लेने से संबंधित घोषण पत्र एवं अधिसूचना संख्या–5437 दिनांक–09.09.2010 एवं 9519 दिनांक–22.09.2014 के आलोक में चल–अचल सम्पति का ब्योरा विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

(vi) नवनियुक्त पदाधिकारी को योगदान के 15 दिनों के अंदर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के परिपत्र संख्या–4193, दिनांक 19.08.2025 के संदर्भ में iGOT Portal के माध्यम से Pre-Induction Training पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(vii) नवनियुक्त पदाधिकारी को योगदान के समय तक पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति / पूर्व सेवा से त्यागपत्र की प्रति अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा।

(viii) योगदान देते समय नवनियुक्त पदाधिकारी को असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ix) पूर्ववृत्त चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर एक महीने की सूचना पर सेवा समाप्त की जा सकती है।

(x) योगदान के लिए कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

(xi) W.P (PIL) No. 5717/2024, Prakash Kumar and Others Versus The State of Jharkhand & Ors मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2025 को पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2023 के अन्तर्गत कथित कदाचार की जाँच हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित SIT द्वारा जाँच के क्रम में यदि भविष्य में कोई अनुशंसित अभ्यर्थी दोषी पाये जाते हैं, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की अनुशंसा वापस लेते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

25.2.2026

(दिलीप तिर्की),
निदेशक।

ज्ञापांक–खा0उप0नि0–01–स्था०–6/2023–383 **राँची, दिनांक**–25/2/2026

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखण्ड, रांची/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.2.2026
निदेशक।

ज्ञापांक–खा0उप0नि0–01–स्था०–6/2023–383 **राँची, दिनांक**–25/2/2026

प्रतिलिपि:–माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड, राँची के प्रधान सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, राँची/सचिव, वित्त विभाग, राँची/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची/सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची/धनबाद/पूर्वी सिंहभूम/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.2.2026
निदेशक।

ज्ञापांक–खा0उप0नि0–01–स्था०–6/2023–383 **राँची, दिनांक**–25/2/2026

प्रतिलिपि:–सभी नव नियुक्त प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.2.2026
निदेशक।